रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05022021-224961
CG-GJ-E-05022021-224961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 2 फरवरी, 2021

सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./008.—प्राधिकरण, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020(2020 का 30) की धारा 4 की उपधारा (क) द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को अर्हित वित्तीय संविदा के रूप में अभिहित करता है:

"अर्हित वित्तीय संविदा से किसी स्टॉक एक्सचेंज के बाहर प्राइवेट तौर पर सौदेबाजी करके निष्पादित कोई द्विपक्षीय वित्तीय संविदा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी वित्तीय संविदा में निर्देश द्वारा सम्मिलित ऐसे कोई निबंधन और शर्तें भी हैं, जिनके अनुसरण में भुगतान और परिदान संबंधी ऐसी बाध्यताओं का, जिनकी कोई बाजार कीमत है, कतिपय समय पर या कतिपय समयावधि के भीतर पालन किया जाना है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

(i) कोई मुद्रा, परस्पर लेनदेन की मुद्रा (क्रास करेंसी) या ब्याज दर स्वैप;

(ii) कोई आधार स्वैप;

(iii) कोई स्पॉट, फारवर्ड या अन्य विदेशी विनिमय संव्यवहार;

(iv) कोई कैप, कॉलर या फ्लोर संव्यवहार;

(v) कोई वस्तु स्वैप;

(vi) कोई फारवर्ड दर करार;

(vii) कोई मुद्रा या ब्याज दर विकल्प;

(viii) कोई क्रेडिट डेरिवेटिव, जैसे कि कोई क्रेडिट व्यतिक्रम स्वैप;

(ix) कोई स्पॉट, फारवर्ड या अन्य प्रतिभूति या वस्तु संव्यवहार;

(x) कोई प्रतिभूति संविदा, जिसके अंतर्गत कोई मार्जिन उधार और प्रतिभूतियों का क्रय, विक्रय करने, उन्हें उधार पर लेने या उधार पर देने का करार भी है, जैसे कि प्रतिभूति पुनःक्रय या रिवर्स पुनःक्रय करार, प्रतिभूतियों को उधार पर देने का करार या प्रतिभूतियों का क्रय/पुनः विक्रय करने का करार, जिसके अंतर्गत बंधक उधारों, बंधक उधारों या बंधक संबंधी प्रतिभूतियों में हितों से संबंधित ऐसी कोई संविदा या करार है, कोई धनीय बाजार लिखत;

(xi) कोई वस्तु संविदा, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय, विक्रय करने, उन्हें उधार पर लेने या उधार पर देने का करार भी है, जैसे कि वस्तु पुनःक्रय या रिवर्स पुनःक्रय करार, वस्तुओं को उधार पर देने का करार या वस्तुओं का क्रय/पुनः विक्रय करने का करार;

(xii) कोई सांपार्श्विक ठहराव;

(xiii) प्रतिभूति संव्यवहारों के समाशोधन या परिनिर्धारण के लिए या प्रतिभूतियों के लिए निक्षेपधारी के रूप में कार्य करने का करार;

(xiv) परिसीमा के बिना ब्याज दरों, मुद्राओं, वस्तुओं, हित या बहुमूल्य धातुओं से संबंधित एक या अधिक निर्देश मदों या सूचकांकों की बाबत पैरा (i) से पैरा (xiii) में निर्दिष्ट किसी करार, संविदा या संव्यवहार के समरूप कोई अन्य ऐसा करार, संविदा या संव्यवहार; या

(xv) कोई ऐसी अन्य सुविधा या करार, संविदा या संव्यवहार, जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ऊपर सूचीबद्ध करारों, संविदाओं या संव्यवहारों के अतिरिक्त अर्हित वित्तीय करार के रूप में अभिहित किया जाता है ।"

इनजेती श्रीनिवासन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4असा./492/ 2020-21]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 2nd February, 2021

IFSCA/2020-21/GN/008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of Section 4 of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (30 of 2020) , the Authority hereby designates the following as Qualified Financial Contract :

"Qualified financial contract" means any privately negotiated bilateral financial contract executed outside a stock exchange, including any terms and conditions incorporated by reference in any such financial contract, pursuant to which payment or delivery obligations that have a market price are due to be performed at a certain time or within a certain period of time and includes

(i) a currency, cross-currency or interest rate swap;

(ii) a basis swap;

(iii) a spot, forward or other foreign exchange transaction;

(iv) a cap, collar or floor transaction;

(v) a commodity swap;

(vi) a forward rate agreement;

(vii) a currency or interest rate option;

(viii) a credit derivative, such as a credit default swap;

(ix) a spot, forward or other securities or commodities transaction;

(x) a securities contract, including a margin loan and an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, such as a securities repurchase or reverse repurchase agreement, a securities lending agreement or a securities buy/sell-back agreement, including any such contract or agreement relating to mortgage loans, interests in mortgage loans or mortgage-related securities, a money market instrument;

(xi) a commodities contract, including an agreement to buy, sell, borrow or lend commodities, such as a commodities repurchase or reverse repurchase agreement, a commodities lending agreement or a commodities buy/sell-back agreement;

(xii) a collateral arrangement;

(xiii) an agreement to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities;

(xiv) any other agreement, contract or transaction similar to any agreement, contract or transaction referred to in paragraphs (i) to (xiii) with respect to one or more reference items or indices relating to, without limitation interest rates, currencies, commodities, interest, or precious metals; or

(xv) any other facility or agreement, contract or transaction designated as a qualified financial agreement by the Authority from time to time in addition to those listed above"

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./492/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM